Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

22-04-2018

खण्डपीठ क0 23

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ

के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपी अनुपस्थित की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव

उप0 |

फरियादी किशनलाल उप0। फरियादी की पहचान

अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गई है।

आज दिनांक को जमयपक्षाँ द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया, जिसे अमिलेख पर लिया

गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैं कि आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 294,323 एवं 506 माग-2 के अंतर्गत आरोप विरिचत किया गया है। उक्त धारायें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी किशनलाल ने आरोपी से स्वेचछथापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उमयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी कैलाश को माठदंवसंठ की धारा 294, 323 एवं 506 माग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 27.04.18 निरस्त की गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसकं जमानत एवं

मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार

मेजा जावे। खण्डपीट सदस्य. क.1— <u>ब्राट्टांग्युर्त</u> क?—

(प्रतिष्टा अवस्थी) पीटासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 23 गोहद FOI 2 1-1 PARTIE 18

Eldelog.